KHAN GLOBAL STUDIES
KGS Campus, Sai Mandir, Musallahpur Hatt, Patna - 6
Mob : 8877918018, 875735880
BPSC - Polity
By : Karan Sir

राज्य को विशेष दर्जे की मांग

चर्चा में क्यों?

- 22 नवंबर को, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल ने विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। यह मांग ''बिहार जाति-आधारित सर्वेक्षण, 2022'' के निष्कर्षों की पृष्ठभूमि में आई है। जिसमें पता चला है कि बिहार की लगभग एक-तिहाई आबादी गरीबी में जी रही है। CM ने कहा कि वंचित जातियों की आबादी के प्रतिशत में वृद्धि के कारण एससी, एसटी और ओबीसी के लिए कोटा में वृद्धि हुई है। 50 से 65 प्रतिशत तक, उनकी सरकार ने ''94 लाख परिवारों'' के लाभ के लिए कई कल्याणकारी उपाय करने की भी योजना बनाई, जो सर्वेक्षण के अनुसार बेहद गरीबी में रहते थे।

विशेष श्रेणी का दर्जा (SCS) :

परिचय:

- विशेष श्रेणी का दर्जा (SCS) केंद्र द्वारा निर्धारित उन राज्यों का एक वर्गीकरण है जो भौगोलिक और सामाजिक-आर्थिक नुकसान का सामना करते हैं।
- संविधान SCS के लिये प्रावधान नहीं करता है और यह वर्गीकरण बाद में 1969 में पाँचवें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर किया गया था।
- पहली बार वर्ष 1969 में जम्मू-कश्मीर, असम और नगालैंड को यह दर्जा दिया गया था।
- पूर्व में योजना आयोग की राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा योजना के तहत सहायता के लिये SCS प्रदान किया गया था।
- असम, नगालैंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, उत्तराखंड और तेलंगाना सहित 11 राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा दिया गया।
  - तेलंगाना, भारत के सबसे नवीन राज्य को यह दर्जा दिया गया था क्योंकि इसे आंध्र प्रदेश राज्य से अलग किया गया था।
- 14वें वित्त आयोग ने पूर्वोत्तर और तीन पहाड़ी राज्यों को छोड़कर अन्य राज्यों के लिये 'विशेष श्रेणी का दर्जा' समाप्त कर दिया है।
  - इसने सुझाव दिया कि प्रत्येक राज्य के संसाधन अंतर को 'कर हस्तांतरण' के माध्यम से भरा जाए, केंद्र से कर राजस्व में राज्यों की हिस्सेदारी को 32% से बढ़ाकर 42% करने का आग्रह किया गया है।
- SCS, विशेष स्थिति से अलग है जो बढ़े हुए विधायी और राजनीतिक अधिकार प्रदान करती है, जबकि विशेष श्रेणी का दर्जा (SCS) केवल आर्थिक और वित्तीय पहलुओं से संबंधित है।
  - उदाहरण के लिये अनुच्छेद 370 के निरस्त होने से पहले जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था।
  - निर्धारक (गाडगिल सिफारिश पर आधारित):

1. राज्य का भौगोलिक संरचना किस तरह का है. पहाड़ी और दुर्गम इलाके वाले राज्य को विशेष तरजीह दी जाती है।
2. किसी राज्य की सीमा से अगर कोई देश की सीमा लगती है, तो उसे भी विशेष राज्य का दर्जा देने पर विचार किया जा सकता है।
3. जनसंख्या घनत्व अगर किसी राज्य का काम है या किसी राज्य में जनजातीय लोगों की संख्या अधिक है, तो उसे भी यह स्टेटस मिल सकता है।
4. आर्थिक रूप से पिछड़े राज्य को भी विशेष राज्य का दर्जा दिया जा सकता है। हालांकि, यह इसका मूल्यांकन करना केंद्र का काम है।
5. राज्यों के जो फाइनेंस हैं या राज्यों के पास जो रकम है वो कितनी प्रैक्टिकल है। क्या वो रकम व्यवहारिक तौर पर खर्च किया जा सकता है।

विशेष श्रेणी के दर्जे के लाभ:

- अन्य राज्यों के मामले में 60% या 75% की तुलना में केंद्र प्रायोजित योजना में आवश्यक निधि का 90% विशेष श्रेणी के राज्यों को भुगतान किया जाता है, जबकि शेष निधि राज्य सरकारों द्वारा प्रदान की जाती है।
- वित्तीय वर्ष में अव्ययित निधि व्यपगत नहीं होती है और इसे आगे बढ़ाया जाता है।
- इन राज्यों को उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क, आयकर एवं निगम कर में महत्त्वपूर्ण रियायतें प्रदान की जाती हैं।
- केंद्र के सकल बजट का 30% विशेष श्रेणी के राज्यों को प्रदान किया जाता है।

- एससीएस राज्यों को गाडगिल-मुखर्जी फॉर्मूले के आधार पर अनुदान प्राप्त होता था, जो राज्यों की कुल केंद्रीय सहायता का लगभग 30% एससीएस राज्यों के लिए निर्धारित करता था। हालाँकि, योजना आयोग के उन्मूलन और 14वें और 15वें एफसी की सिफारिशों के बाद, एससीएस राज्यों को यह सहायता सभी राज्यों के लिए विभाज्य पूल फंड के बढ़े हुए हस्तांतरण में शामिल कर दी गई है (15वें एफसी में 32 से बढ़कर 41% हो गई है)। इसके अतिरिक्त, एससीएस राज्यों में, केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए केंद्र- राज्य वित्त पोषण को 90:10 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, जो सामान्य श्रेणी के राज्यों के लिए 60:40 या 80:20 के अनुपात से कहीं अधिक अनुकूल है। इसके अलावा, नए उद्योग स्थापित करने के लिए निवेश आकर्षित करने के लिए सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क, आयकर दरों और कॉर्पोरेट कर दरों में रियायत के रूप में एससीएस राज्यों को कई अन्य प्रोत्साहन उपलब्ध हैं।

विशेष श्रेणी के दर्जे के संबंध में चिंताएँ:

- यह केंद्रीय वित्त पर दबाव में वृद्धि करता है।
- साथ ही एक राज्य को विशेष दर्जा देने से दूसरे राज्य भी ऐसी मांग करने लगते हैं। उदाहरण के लिये आंध्र प्रदेश, ओडिशा और बिहार द्वारा की जाने वाली मांग।

बिहार एससीएस की मांग क्यों कर रहा है?

- बिहार के लिए एससीएस की मांग राज्य के विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा बार-बार की जाती रही है।

1. राज्य की गरीबी और पिछड़ेपन का कारण
2. प्राकृतिक संसाधनों की कमी,
3. सिंचाई के लिए पानी की निरंतर आपूर्ति, उत्तरी क्षेत्र में नियमित बाढ़ और राज्य के दक्षिणी हिस्से में गंभीर सूखा बताया जाता है।
4. राज्य के विभाजन के कारण उद्योगों को झारखंड में स्थानांतरित कर दिया गया और रोजगार और निवेश के अवसरों की कमी पैदा हो गई।
5. लगभग रु. 54,000 की प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद के साथ, बिहार लगातार सबसे गरीब राज्यों में से एक रहा है।

- एससीएस के लिए अपनी ताजा मांग में इस पर प्रकाश डालते हुए, सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य लगभग 94 लाख गरीब परिवारों का घर है और एससीएस देने से सरकार को अगले पांच साल विभिन्न कल्याणकारी उपायों के लिए आवश्यक लगभग 2. 5 लाख करोड़ रुपये प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

क्या अन्य राज्य भी एससीएस चाहते हैं?

- 2014 में अपने विभाजन के बाद से, आंध्र प्रदेश ने हैदराबाद के तेलंगाना में जाने के कारण राजस्व हानि के आधार पर एससीएस अनुदान मांगा है।
- ओडिशा भी चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं और एक बड़ी जनजातीय आबादी (लगभग 22%) के प्रति अपनी संवेदनशीलता को उजागर करते हुए एससीएस के लिए अनुरोध कर रहा है।
- हालाँकि, केंद्र सरकार ने 14वीं एफसी रिपोर्ट का हवाला देते हुए, जिसमें केंद्र को सिफारिश की थी कि किसी भी राज्य को एससीएस नहीं दिया जाएगा, बार-बार उनकी मांगों को अस्वीकार कर दिया है।

क्या बिहार की मांग जायज है?

- यद्यपि बिहार एससीएस अनुदान के अधिकांश मानदंडों को पूरा करता है, लेकिन यह पहाड़ी इलाकों और भौगोलिक रूप से कठिन क्षेत्रों की आवश्यकता को पूरा नहीं करता है, जिसे बुनियादी ढांचे के विकास में कठिनाई का प्राथमिक कारण माना जाता है।
- 2013 में, केंद्र द्वारा गठित रघुराम राजन समिति ने बिहार को 'अल्प विकसित श्रेणी' में रखा और एससीएस के बजाय धन हस्तांतरित करने के लिए 'बहु-आयामी सूचकांक' पर आधारित एक नई पद्धति का सुझाव दिया, जिसे राज्य का सामाजिक-आर्थिक पिछड़ापन संबोधित करने के लिए फिर से विचार किया जा सकता है।
- इस पर राजनीति भी एक वजह 2010 में कई राज्यों ने विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग केंद्र से शुरू कर दी, केंद्र ने इसके बाद रघुराम राजन की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई। इस कमेटी की रिपोर्ट बिहार के रास्ते में रोड़ा बन गया।
- राजन कमेटी ने देश के सभी राज्यों को 3 कैटेगरी में बांट दिया.
  1. सबसे कम विकसित
  2. अल्पविकसित और
  3. अपेक्षाकृत विकसित
- सबसे कम विकसित वाले राज्यों की श्रेणी में बिहार, ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, अरुणाचल, असम, मेघालय, राजस्थान और उत्तर प्रदेश को रखा गया।
- अगर इस कमेटी की रिपोर्ट को मानकर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे दिया गया, तो बाकी के राज्यों में विरोध शुरू हो जाएगा। ओडिशा भी लंबे वक्त से विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहा है।
- झारखंड और छत्तीसगढ़ भी आदिवासी राज्य का हवाला देकर केंद्र से विशेष दर्जा देने की मांग कर रहा है. 2013 के बाद आंध्र में भी स्पेशल स्टेटस की मांग तेज हो गई है।

❑❑❑